

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक- वि0प्रा0(IV)विविध(समिति गठन एवं अन्य)-03/2023-3472 पटना, दिनांक:-18/9/23

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह, मा0प्र0से0
सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/
राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, बिहार।

विषय:-

संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की उपस्थिति (75 प्रतिशत) अनिवार्य रूप से लागू करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अंतर्गत संचालित सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कम-से-कम 75 प्रतिशत दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र/छात्रा 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाते हैं, तो उनको आगामी परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। इस हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वट को दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य अपने संस्थान में स्वयं अपने स्तर पर समीक्षा कर छात्र/छात्राओं की कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वैसे छात्र/छात्राएँ जो स्वास्थ्य कारणों से इस अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाए, उन परिस्थिति में प्राचार्य (केस टू केस वेसिस पर) निर्णय ले सकते हैं।

विश्वासभाजन

सचिव,

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना। 15/9/23

ज्ञापक:- वि0प्रा0(IV)विविध(समिति गठन एवं अन्य)-03/2023-3472 पटना, दिनांक:-18/9/23

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कुलपति/कुल सचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार, पटना। कृपया राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के स्तर से दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
2. सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वट, बिहार। कृपया राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वट से भी दिशा-निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।
3. आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार।

सचिव,

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना। 15/9/23

कार्यालय

कृपया कृपया पत्र
संस्थान के वेबसाइट
एवं छात्रावास के WhatsApp
Group के उचित कर 75% से
विषयगत कर 2 प्रतिशत से कम
परीक्षा के लिए लेने से छात्रावास
को वंचित कर पाएगा।
15/9/23